[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग केन्द्रीय सीमाशुल्क और उत्पाद-शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 6/2018-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 23 जनवरी, 2018

सा.का.िल.___(अ).-- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, किसी रिजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा संदेय विलंब शुल्क की रकम का अधित्यजन किया जाता है, जो उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तारीख द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-5क में देने में असफल रहता है, जो प्रत्येक दिन जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है के लिए पच्चीस रुपये की रकम से अधिक है:

परंतु, जहां किसी मास/तिमाही में जावक आपूर्ति नहीं है, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तारीख पर उक्त विवरणी देने में असफल रहने पर ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा संदेय विलंब शुल्क की रकम उस विस्तार तक अधित्यजित रहेगी, जो प्रत्येक दिन जिसके दौरान उक्त असफलता जारी रहती है के लिए दस रुपये की रकम से अधिक है।

[फा.सं.349/58/2017-जीएसटी(पीटी.)]

(डा.श्रीपार्वती एस.एल.) अवर सचिव, भारत सरकार